रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022021-225100 CG-DL-E-11022021-225100

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585] No. 585] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 11, 2021/माघ 22, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 2021/MAGHA 22, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 11 फरवरी. 2021

का.आ. 639(अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची के मद 32 के अधीन आच्छादित बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक की सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए;

और, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2793(अ), तारीख 18 अगस्त, 2020 द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 19 अगस्त , 2020 से छह मास तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में छह मास के लिए उक्त उद्योग को लोकोपयोगी सेवा प्रास्थिती का विस्तार किया जाना अपेक्षित है:

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योग को तारीख 19 फरवरी, 2021 से छह मास की अविध के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2016-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

867 GI/2021 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2021

S.O. 639(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services in the Bank Note Paper Mill India Private Limited, Mysore, Karnataka which is covered under item 32 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 19th August, 2020, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2793 (E), dated 18th August, 2020;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services in the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from 19th February, 2021.

[F. No. S-11017/1/2016-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.